भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3256 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

अपर्याप्त यात्री जहाज संपर्क

†3256. श्री हमदुल्ला सईद :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लक्षद्वीप में अपर्याप्त यात्री जहाज संपर्क की जानकारी है, जहाँ केवल पाँच जहाज उपलब्ध हैं और अक्सर केवल तीन ही चालू होते हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंतर-द्वीपीय और मुख्य भूमि परिवहन में सुधार के लिए तत्काल अतिरिक्त जहाजों को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वीपवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी आधार पर नए यात्री जहाज खरीदने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी खरीद योजनाओं का ब्यौरा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (यूटीएलए) ने सूचित किया है कि वर्तमान में उसके स्वामित्व में मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच चलने वाले सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पाँच (05) यात्री जलयान हैं। इसके अतिरिक्त, यूटीएलए के पास अनुकूल मौसम के दौरान अंतर-द्वीपीय संपर्कता के लिए छह (06) हाई स्पीड क्राफ्ट (एचएससी) हैं। उपर्युक्त पोत/जलयान, पूर्वनिर्धारित समय-सारिणी के अनुसार नियमित रूप से चलते हैं। लेकिन, किसी भी स्थिति विशेष में सेवा देने योग्य हालत में उपलब्ध पोतों की संख्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में डॉकिंग स्लॉट की उपलब्धता, प्रमाणपत्र के नवीकरण और सर्वेक्षण की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार उनकी निर्धारित/अनिर्धारित मरम्मत पर निर्भर करती है।

(ख): लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, निजी पोत/जलयान प्रचालकों को मुख्य भूमि और द्वीपों तथा द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच और साथ ही अंतर-द्वीपीय आवागमन के लिए यात्री जलयान प्रचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(ग) और (घ): फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****